मद सं॰ 1

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद की दिनांक ४.१२.९६ को सम्पन्न हुई वर्ष १९९६ की तृतीय(१६३वीं) बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक ४.१२.९६ की बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे :-

१.	श्री ब्रजेन्द्र सहाय अध्यक्ष/मुख्य सचिव उ.प्र.शासन।	अध्यक्ष
२.	श्री ए.पी.सिंह प्रमुख सचिव, आवास उ.प्र. शासन।	सदस्य
३.	श्री राजेन्द्र कुमार तिवारी विशेष सचिव, वित्त उ.प्र.शासन। (प्रमुख सचिव, वित्त विभाग के प्रतिनिधि)	सदस्य
४.	श्रीमती सुरजीत कौर सन्धु आवास आयुक्त उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद लखनऊ।	सदस्य
५.	श्री एच.एस. जेठवानी मुख्य अभियन्ता उ.प्र. जल निगम (प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. जल निगम के प्रतिनिधि)	सदस्य
६.	श्री बी.बी. गर्ग उप निदेशक सी.बी.आर.आई. रूडकी। (निदेशक, सी.बी.आर.आई., रूडकी के प्रतिनिधि)	सदस्य
७.	श्री एस.के. वर्मा मुख्य अभियन्ता उ.प्र.आवास एवं विकास परिषद लखनऊ।	सदस्य
८.	श्री यज्ञवीर सिंह चौहान अपर आवास आयुक्त एवं सचिव उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद लखनऊ।	सचिव

विशेष आमन्त्री के रूप में :-

१. श्री ए.के. पचौरी
मुख्य वास्तुविद नियोजक।

२. श्री हामिद मुस्तफा
वित्त नियन्त्रक।

बैठक में विचार विमर्श के पश्चात सर्वसम्मति से निम्नवत् निर्णय लिये गये :-

१	२	३
१-	परिषद की द्वितीय बैठक दिनांक २८.३.९६ को कार्यवृत्त।	परिषद की दिनांक ४.१२.९६ को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि निम्न संशोधन के साथ की गई ;- १- मद संख्या-२० में दुर्बल आय वर्ग भवन सं०-११७ के स्थान पर '१७७' लिख दिया जाय। २- मद संख्या-६२ परिषद व्दारा लिये गये निर्णय की प्रथम पंक्ति में 'प्रवासी' शब्द के स्थान पर 'अप्रवासी' कर दिया जाय।
-	परिषद की द्वितीय बैठक दिनांक २८.३.९६ की अनुपालन आख्या।	अगली बैठक में रखे जाने के निर्देश दिये गये
३.	उ.प्र.आवास एवं विकास परिषद के कार्यकलापों की सितम्बर-९६ तक की प्रगति रिपोर्ट।	अध्यक्ष/प्रमुख सचिव आवास के स्तर पर परिषद कार्यकलापों की अलग से समीक्षा करने का निर्णय लिया गया।
४.	वसुन्धरा योजना गाजियाबाद की लोकप्रियता बढ़ाने हेतु योजना के सैक्टर-१६ एवं १८ के सामने लोक निर्माण के लिंक मार्ग(मोहन नगर के दिल्ली) पर दो नग बस शैल्टर्स के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के संबंध में।	अवलोकित किया गया।
५.	अपर गंगा कैनाल से प्राप्त किये जाने वाले ५० क्यूसेक पेयजल के संबंध में।	अवलोकित किया गया।
६.	परिषद की राजपुर योजना सं०-१, देहरादून की सीवर व्यवस्था गढ़वाल जल संस्थान, देहरादून को स्थानान्तरित करने के संबंध में।	अवलोकित किया गया।
७.	परिषद की सिविल लाइन्स बरेली स्थित मध्यम आय वर्ग भवन विंग कमान्डर सी.एल. आनन्द को आवंटित करने के संबंध में।	मा. उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देश के परिप्रेक्ष्य में निर्णय लिया गया। इसे(Precedent) दृष्टांत नहीं माना जाय।
८.	उ.प्र.आवास एवं विकास परिषद की लिपिकीय सेवा विनियम- १९८०(क) (७) में संशोधन।	स्थगित किया गया। आदेश दिये गये कि शासन एवं अन्य विकास प्राधिकरणों में अपनाई जाने वाली नीति का पहले अध्ययन कर लिया जाय।
९.	परिषद के कतिपय संवर्गों के सेलेक्शन ग्रेड/ प्रोन्नति वेतनमान दिये जाने के संबंध में।	वापस लिया गया।
१०.	स्थाई भण्डारकों, अभिलेखपाल, पुस्तकालयाध्यक्ष, अनुवादकों, मुख्य लिपिकों तथा सहायक श्रेणी-प्रथम(प्रवर वर्ग सहायक) वेतनमान रू. १३५०-२२०० में मुख्य सहायक / कार्यालय अधीक्षक वेतनमान रू. १४००-२६००. के पद पर प्रोन्नति हेतु पात्रता अवधि ०३ वर्ष करने हेतु सेवा विनियमावली में संशोधन किये जाने के संबंध में।	विचारोपरान्त अस्वीकृत किया गया।
११.	परिषद के कार्यक्षेत्र एवं बढ़े हुए कार्यकलापों पर प्रभावी नियन्त्रण एवं सुनियोजित कार्यान्वयन हेतु [illegible]	समिति के निर्णय का अवलोकन किया गया।

(82)

१.	२	३
१२.	श्री एस.के.वर्मा, मुख्य अभियन्ता को उनकी पत्नी के इलाज हेतु चिकित्सा प्रतिपूर्ति के संबंध में।	स्वीकृत किया गया।
१३.	दैनिक वेतन भोगी / मस्टर रोल कर्मचारियों के दैनिक दरों के संबंध में।	अगली बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्देश दिया गया।
१४.	परिषद की वसुन्धरा योजना गाजियाबाद में स्थापित कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों को विशेष वाहन भत्ता दिये जाने के संबंध में।	स्थगित किया गया।
१५.	श्री एस.एफ.एम. अली, अधीक्षण अभियन्ता के आवास एवं नगर निगम में 'चीफ प्रोजेक्ट' के पद पर सीविलियन के संबंध में।	विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
१६.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को साईकिल भत्ता के दरों में वृद्धि के संबंध में।	अस्वीकृत।
१७.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को धुलाई भत्ता की दरों में वृद्धि के संबंध में।	अस्वीकृत।
१८.	परिषद की झूंसी योजना सं०-२, इलाहाबाद में उपलब्ध स्कूल भूखण्ड में श्रीमती इन्द्राणी बाई बालिका जूनियर हाईस्कूल के पक्ष में आवंटन।	अनुमोदित किया गया।
१९.	परिषद की वसुन्धरा योजना गाजियाबाद में स्कूल भूखण्डों के आवंटन के संबंध में।	समिति की संस्तुतियां अनुमोदित की गयी।
२०.	श्री मोहर सिंह, भूतपूर्व विधायक को परिषद की गंगा विहार योजना रूडकी के अन्तर्गत परिषद निर्णय के क्रम में आवंटित भवन को निरस्त कर पठानपुरा योजना सं०-१ सहारनपुर के दुर्बल आय वर्ग भवन सं०-११७ आवंटित करने के संबंध में।	अनुमोदित।

१	२	३
२२.	परिषद की गाजियाबाद स्थित वसुन्धरा योजना के अन्तर्गत श्री ए.के. गुप्ता, डिप्टी डाइरेक्टर इन्टेलिजेन्स ब्यूरो मिनिस्ट्री आफ होम अफेयर्स को आवंटित स्वंय वित्त पोषित भवन सं०-१५/१६५ के विरूद्ध देय साधारण ब्याज की धनराशि रू. २१,१५६.०० के संबंध में।	प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।
२३.	उ.प्र आवास एवं विकास परिषद योजना सं०- कानपुर में श्री विनय नारायण चन्द्र को आवंटित भूखण्ड सं०-११०१ के विरूद्ध देय अनिर्माण शुल्क माफ करने के संबंध में।	स्थगित किया गया। नोएडा आदि में अपनाई गई प्रक्रिया की भी जानकारी प्राप्त कर ली जाय।
२४.	श्री मो. नसीमउल्ला खाँ को परिषद की इन्दिरा नगर योजना लखनऊ में आवंटित दुर्बल आय वर्ग भवन सं०-१६/१००५ के विरूद्ध देय दण्ड ब्याज को माफ किये जाने के संबंध में।	यदि छः माह में भुगतान कर देते है, तो केवल दण्डब्याज रू० १३,३४५.५५ का ५० प्रतिशत माफ किया जाय।
२५.	परिषद की इन्दिरा नगर योजना के सेक्टर-९ में भारत जन ज्ञान विज्ञान समिति को १००० वर्ग मीटर भूमि आवंटन के संबंध में।	वापस लिया गया।
२६.	कोटद्वार रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं०-१, नजीबाबाद को धारा-३१(१) का प्रस्ताव।	स्थगित किया गया।
२७.	मंझोला भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं०-४(भाग-१) मुरादाबाद में समाविष्ट श्री राम स्ट्रा बोर्ड मिल्स की भूमि के संबंध में।	अनुमोदित किया गया।
२८.	मंझोला यो०सं०-४ (भाग-४) की मुरादाबाद की भूमि सीधी बातचीत के माध्यम से क्रय किये जाने के संबंध में।	प्रस्ताव का पुनः परीक्षण करके प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

१	२	३
२९.	राजाजीपुरम योजना लखनऊ के क्षेत्र में जल सम्पूर्ति व्यवस्था सुदृढ करने हेतु जौनल पम्पिंग स्टेशन बनाने हेतु परिषद की राजाजीपुरम योजना लखनऊ में जल संस्थान लखनऊ को भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में।	अनुमोदित किया गया।
३०.	वसुन्धरा यो०सं०-३ गाजियाबाद के सेक्टर-२बी, २सी में स्वंय वित्त पोषित परियोजना ९६बी के अन्तर्गत ६२/११३ प्रकार के फिनिश्ड ३९ एवं सेमी फिनिश्ड १५७ भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के संबंध में।	अनुमोदित किया गया।
३१.	वसुन्धरा यो०सं०-३ गाजियाबाद के सेक्टर-२बी, २सी में स्वंय वित्त पोषित परियोजना ९६डी के अन्तर्गत ४३/६१ प्रकार के फिनिश्ड ४१ एवं सेमी फिनिश्ड १६५ भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के संबंध में।	अनुमोदित किया गया।
३२.	बहादराबाद मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान यो०सं०-१ रानीपुर,हरिद्वार में बी.एच.ई.एल. सहकारी गृह निर्माण समिति लिमिटेड के लिये डिपाजिट कार्य के रूप में टाइप-१ (५५/१२७) प्रकार के २१ नग भवनों के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के संबंध में।	अनुमोदित किया गया।
३३.	परिषद योजनाओं में आवंटित सम्पत्तियों के प्रयोग परिवर्तन के संबंध में।	अनुमोदित किया गया।
३४.	अनाधिकृत निर्माण की कम्पाऊंडिंग हेतु विकास प्राधिकरण अपराधों की शमन उपलब्धियां १९९६ को परिषद में अपनाने के संबंध में।	मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक तथा परिषद के मुख्य वास्तुविद नियोजक की समिति द्वारा परीक्षण करके बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।
३५.	४० वर्ग मीटर तक क्षेत्रफल के भूखण्डों एवं भवनों के मानचित्रों के अनुमोदन एवं भवन निर्माण अनुज्ञा के प्राविधानों के शिथिलता।	मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक तथा परिषद के मुख्य वास्तुविद नियोजक की समिति द्वारा परीक्षण करके बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

१	२	३
३७.	वसुन्धरा यो०सं०-३ गाजियाबाद के सेक्टर-२बी एवं २सी में स्वंय वित्त पोषित परियोजना १६बी के अन्तर्गत (४३/६१) प्रकार के ०१ नग फिनिश्ड भवन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के संबंध में।	अवलोकित किया गया।
३८.	शास्त्री नगर यो०सं०-७ मेरठ के सेक्टर-८ में भवन सं०- ४७/८ (१७/२४२) प्रकार में विभागीय कार्य हेतु गैराज के निर्माण के संबंध में।	अवलोकित किया गया।
३९.	परिषद के अभियन्ताओं को स्नातकोत्तर भत्ते की स्वीकृति के संबंध में।	स्थगित किया गया। शासन से अनुमति लेने के प्रयास किये जाय। शासन से उत्तर आने के बाद रखा जाय।
४०.	श्री कमलकान्त सूरी अवर अभियन्ता को उनकी माता जी के चिकित्सा पर हेतु व्यय की प्रतिपूर्ति।	स्वीकृत किया गया।
४१.	श्री एस.के.वर्मा अवर अभियन्ता द्वारा अपने पुत्र की चिकित्सा पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति के सबंध में।	स्वीकृत किया गया। इनके बच्चे की बीमारी ऐसी है कि प्रत्येक माह खून के बदलने पर खर्च आता है। निर्देश हुए कि जैसे ही वह बिल प्रस्तुत करे इन्हें व्यय की प्रतिपूर्ति कर दी जाय।
४२.	परिषद की देहरादून रोड यो०सं०-१ रूडकी में निर्मित भवनों में पाई गये अवरताओं से संबंधित गठित विभागीय जाँच।	एक माह में जाँच पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।
४३.	पठानपुरा भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सेक्टर-२ सहारनपुर की धारा-३१(१) हेतु पुनरीक्षित प्रस्ताव एवं प्राक्कलन।	अनुमोदित किया गया।
४४.	इन्दिरा नगर विस्तार भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना फैजाबाद रोड लखनऊ के धारा-३१ के प्रस्ताव के संबंध में।	स्थगित किया गया।
४५.	बरेली पीलीभीत बाईपास भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं०-७ बरेली हेतु धारा-३१(१) की स्वीकृति के संबंध में।	अनुमोदित किया गया।
४६.	वसुन्धरा योजना गाजियाबाद के सेक्टर-७ में आंशिक स्वंय वित्त पोषित परियोजना १६ ई-१ के अन्तर्गत एफ-५१(टाईप-ए एवं बी) प्रकार के दो तल्ले के चार मंजिले ३७४(टाइप-ए	अनुमोदित किया गया।

१	२	३
	२३८ एवं टाइप-बी १३६) भवनों की पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के संबंध में।	
४७.	वसुन्धरा योजना गाजियाबाद के सेक्टर-१७ में पूर्व स्वीकृत एक कमरे वाले चार मंजिले एफ-५१ प्रकार के १७५० नग भवनों में से ६९० नग भवनों में ३४५ एफ-६६ प्रकार के भवनों में परिवर्तित करके उनकी पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के संबंध में।	अनुमोदित किया गया।
४८.	डा. जे.एस.लखेडा, लखनऊ को जनता ऋण योजना में स्वीकृत ऋण रू. ८०,०००.०० के ऋण पर लगाये गये दण्ड ब्याज को माफ किये जाने के संबंध में।	यदि छः माह में भुगतान कर देते है, तो केवल दण्ड ब्याज रू. १०,४३८.४० का ५० प्रतिशत भाग माफ किया गया।
४९.	उ.प्र. राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड, कानपुर की योजना सं०-१, कानपुर (जोन सी) में आवंटित भूमि के संबंध में।	अनुमोदित किया गया।
५०.	डा. कमल टावरी को जनता ऋण योजना में स्वीकृत ऋण रू. ८०,०००.०० के ऋण पर लगाये गये दण्ड ब्याज को माफ किये जाने के संबंध में।	अनुमोदित किया गया।
५१.	परिषद की जिगर विहार योजना मुरादाबाद स्थित अल्प आय वर्ग भवन सं०-ए-१९४ श्री मो. अकरम के पक्ष में आवंटित करने के संबंध में।	अनुमोदित किया गया। विचार विमर्श हुआ। इनके हालातो का मद्देनजर रखते हुए अनुमोदित किया गया।
५२.	परिषद की छिबरामऊ यो०सं०-१ में सुभाष अकादमी(छिबरामऊ) शिक्षा प्रसार समिति को स्कूल भूखण्ड क्षेत्रफल ८३२ वर्गमी. आवंटन के संबंध में।	अनुमोदित किया गया।
५३.	राजाजीपुरम योजना लखनऊ के सेक्टर-१० में स्वंय वित्त पोषित परियोजना के अन्तर्गत ६८/१४२ प्रकार के ०२ नग फिनिश्ड भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।	अनुमोदित किया गया।
५४.	मेरठ नगर की तीन योजनाओं में स्वंय वित्त पोषित परियोजना ९६ ए के अन्तर्गत पंजीकरण के आधार पर ६	अनुमोदित किया गया।

१	२	३
	फिनिश्ड भवनों के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के संबंध में।	
५५.	विकास नगर विस्तार योजना - प्रथम लखनऊ (लोहिया नगर) के जोन-ए की बरसाती नालियों व पुलियों एवं आन्तरिक जलापूर्ति के कार्यो हेतु रू. २३.०७ लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के संबंध में।	अनुमोदित किया गया।
५६.	श्री लक्ष्मण प्रसाद, सहायक आवास आयुक्त(भूमि अर्जन) मुख्यालय के चिकित्सा अग्रिम के समायोजन के संबंध में।	स्वीकृत किया गया।
५७.	श्री खलीक अहमद, स्टाफ आफीसर, अध्यक्ष, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद द्वारा अपनी चिकित्सा पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति के संबंध में।	स्वीकृत किया गया।
५८.	परिषद कर्मचारियों को वर्ष १९९५-९६ के निमित्त भुगतान की गई अनुग्रह धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।	अनुमोदित किया गया।
५९.	परिषद बैठकों की संख्याओं की प्रक्रिया के संबंध में।	अनुमोदित किया गया।
६०.	भूमि विकास एवं गृहस्थान यो० सं०-१ बरेली की धारा-२८ हेतु प्रस्ताव एवं आक्कलन की स्वीकृति के संबंध में।	स्थगित किया गया।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय :-

६१.	श्री रामपाल सिंह, पूर्व मन्त्री को डायमण्ड डेरी योजना लखनऊ में फ्लैट सं०-२९ आवंटित करने के संबंध में।	अनुमोदित किया गया।

१	२	३
६२.	विदेशी मुद्रा के अन्तर्गत पंजीकृत आवेदकों को परिषद योजनाओं में सम्पत्तियों के आवंटन के सम्बन्ध में।	विचारोपरान्त यह निर्णय हुआ कि अप्रवासी भारतीयों(एन.आर.आई.) की आवासीय एवं अन्य व्यवसायिक मामलों में(शापिंग काम्पलेक्स एवं दुकानों को छोड़कर) पंजीकरण एवं आवंटन हेतु आवास आयुक्त को अधिकृत किया गया।
६३.	परिषद की पठानपुरा यो० सं०-५ सहारनपुर में भूखण्ड संख्या-७३ श्री एस०के० जैन जिला-जज बिजनौर को प्रदिष्ट किये जाने के संबंध में।	अनुमोदित किया गया ।

आवास आयुक्त

पुष्टि की गयी

अध्यक्ष